**Additional Information**

**Unstarred Assembly Question no. 137**

It is informed that Markanda River originates from Kala Ambin Haryana territory and runs through Mulana, Shahbad, Jhansa&Jalbhera and ultimately merges in the Ghaggar River in Cheeka area. The length of Markanda River in District Ambala is 65.00 KM. Coming back to the Vidhan Sabha question, it is submitted that causeway is a structure which is used for the movement of the vehicle, persons etc. across a river. It is informed that, there exist a katcha path from Village Hariyoli to Tandwal which is used by the public to go from one village to another through out the year except rainy season. Thus, the purpose of the villagers is already being met during non monsoon season. As, already an existing bridge at a distance of 3 Km in downstream side i.e. on Village Sabga to Tandwal is under construction by the B&R Department, hence there seems no need to construct a Bridge/causeway on River Markanda from village Haryoli to village Tandwal in Mullana Assembly Constituency. Also, no petition for construction of causeway in this area has ever been received and thus there is no proposal under consideration of the Department to construct a causeway.

**अतिरिक्त सूचना**

**विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 137**

यह सूचित किया जाता है कि मारकंडा नदी हरियाणा के काला अम्ब क्षेत्र से निकलती है और मुलाना, शाहबाद, झांसा और जलभेडा से होकर गुजरती है और अंततः चीका क्षेत्र में घग्गर नदी में विलीन हो जाती है। जिला अम्बाला में मारकण्डा नदी की लम्बाई 65.00 कि.मी. है। विधानसभा प्रश्न पर वापस आते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कॉजवे एक संरचना है जिसका उपयोग नदी के पार वाहन, व्यक्तियों आदि की आवाजाही के लिए किया जाता है। यह सूचित किया जाता है कि, गांव हरियोली से तंदवाल तक एक कच्चा रास्ता मौजूद है, जिसका उपयोग जनता बरसात के मौसम को छोड़कर पूरे वर्ष एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए करती है। ऐसे में गैर मानसून सीजन में तो ग्रामीणों का उद्देश्य पूरा हो रहा है। चूंकि, डाउनस्ट्रीम साइड में यानी गांव सबगा से तंदवाल तक 3 किमी की दूरी पर पहले से ही एक मौजूदा पुल लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें ) द्वारा निर्माणाधीन है, इसलिए गांव हरयोली से गांव तंदवाल तक मारकंडा नदी पर पुल/कॉजवे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मुलाना विधानसभा क्षेत्र में कॉजवे के निर्माण के लिए कोई याचिका कभी भी प्राप्त नहीं हुई है और इस प्रकार पुल/कॉजवे के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।